



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
रिट याचिका क्रमांक 2384/1995

मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड - याचिकाकर्ता
बनाम
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, जबलपुर और अन्य - उत्तरवादीगण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उत्प्रेषण, परमादेश आदि की प्रकृति में रिट जारी करने और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है।

1. याचिकाकर्ता का विवरण

मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
द्वारा संचालक, लेफ्टिनेंट कर्नल के. के. खन्ना, 22,
रक्षक सोसाइटी, औंध कैंप, पुणे 411027 ।

2. उत्तरवादी का विवरण

1- क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश, जबलपुर।

2- क्षेत्रीय उप-प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक, साउथ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, गेवरा
परियोजना, जिला बिलासपुर (म.प्र.)।

3- आर.के. मेहता, संचालक (कार्मिक) साउथ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड,
बिलासपुर (म.प्र.)

4- नाथूलाल पांडे, महासचिव, म.प्र. कोयला
मजदूर संघ, पोस्ट- साउथ झारखंड
कोलियरी, जिला सरगुजा (म.प्र.)



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2384/1995

मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त (केंद्रीय) और अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2526/1995

एस.ई.सी.एल.

बनाम

म.प्र. कोयला मजदूर संघ और अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2626/1996

एस.ई.सी.एल.

बनाम

क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त (केंद्रीय) और एक अन्य

एवं

रिट याचिका क्रमांक 539/2002

म.प्र. कोयला मजदूर सभा

बनाम

क्षेत्रीय उप-प्रबंधक, गेवरा परियोजना और अन्य

आदेश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2384/1995

मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त (केंद्रीय) और अन्य

आदेश





यह सामान्य आदेश रिट याचिका क्रमांक 2526/95 (एस.ई.सी.एल. बनाम म.प्र. कोयला मजदूर संघ व अन्य), रिट याचिका क्रमांक 2626/96 (एस.ई.सी.एल. बनाम क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त (केंद्रीय) व अन्य) तथा रिट याचिका क्रमांक 539/02 (म.प्र. कोयला मजदूर सभा बनाम क्षेत्रीय उप-प्रबंधक, गेवरा परियोजना व अन्य) के प्रकरणों पर भी लागू होगा।

2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की मुख्य चुनौती मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 25/8/1994 के पंचाट को दी गई है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 1/3/1983 से 31/8/1988 की अवधि के लिए एक करार किया गया था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गेवरा परियोजना में दिसंबर, 1985 से कार्य शुरू किया गया था और उसके बाद दिनांक 31/8/1988 को संविदा समाप्त कर दिया गया था। रिट याचिका क्रमांक 2526/1995 एस.ई.सी.एल. द्वारा म.प्र. कोयला मजदूर संघ, एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड, मेसर्स रोहिणी एसोसिएट्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमिटेड के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और रिट याचिका क्रमांक 2626/1996 एस.ई.सी.एल. द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और म.प्र. कोयला मजदूर संघ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। रिट याचिका क्रमांक 2526/1995 में मुख्य अनुतोष का दावा पंचाट को रद्द करने के लिए किया गया है और रिट याचिका क्रमांक 2626/1996 में दिनांक 19-6-1996 के आदेश को रद्द करने के लिए किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर 1,40,88,945.61 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। रिट याचिका क्रमांक 539/02 में, जिस अनुतोष की प्रार्थना की गई है, वह इस सीमा तक है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 30/10/2001 के प्रश्नाधीन निर्णय को रद्द किया जाए और एसईसीएल प्रबंधन के श्रमिकों को सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।

3. यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी/संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(ग) (2) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे प्रकरण क्रमांक 130/80 से 147/89 के रूप में पंजीकृत किया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि समुचित सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत एक और प्रकरण दर्ज किया गया था।

4. उत्तरवादी क्रमांक 4/संघ ने रिट याचिका क्रमांक 3548/87 प्रस्तुत की। यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई तथा दिनांक 16/11/1987 के आदेश द्वारा इसका निराकरण किया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत है:

"याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री एस.के. गंगेले उपस्थित हुए। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। यह याचिका महासचिव, म.प्र. कोयला मजदूर संघ व 2 अन्य द्वारा साउथ ईस्टर्न कोल-



फील्ड्स लिमिटेड के ट्रांसपोर्टर्स के साथ कार्य करने वाले श्रमिकों को समान वेतन और परिलब्धियां देने के लिए प्रस्तुत की गई है, जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ ठेका श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने मुख्य (केंद्रीय) श्रम आयुक्त के समक्ष अपने विवाद के निर्धारण के लिए प्रश्न उठाया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं को मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष प्रकरण को उठाना होगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बी.आई.आई.ई.एल. वर्कर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (ए.एल.आर. 1985 एस.सी. 409) में निर्धारित किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ठेका श्रम {विनियमन और उत्सादन} अधिनियम, 1970 के तहत, ठेका श्रमिकों के विरुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठेका श्रमिक समान वेतन, अवकाश, कार्य अवधि और सेवा की शर्तों के हकदार हैं, जो कि प्रतिष्ठान के मुख्य नियोक्ता द्वारा उसी या समान प्रकार के कार्य पर सीधे नियोजित श्रमिकों के लिए लागू हैं। यदि कार्य के प्रकार के संबंध में कोई विवाद है, तो विवाद का निर्णय मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा किया जाना है। तदनुसार, इस याचिका का निराकरण मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न की जांच करने के निर्देश के साथ किया जाता है कि क्या ट्रांसपोर्टर्स के कामगारों द्वारा किया गया कार्य उसी प्रकार का कार्य है जो मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगारों द्वारा किया जा रहा है।"

5. यह इंगित किया गया है कि प्रकरण मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा गया था। मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष प्रकरण के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20/5/1080 को एक करार किया गया, जिसके द्वारा पक्षकारों ने न्यायाधिकरण द्वारा इसके न्यायनिर्णयन के लिए निम्नलिखित प्रकरण को संदर्भित करने पर सहमति व्यक्त की और संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

"क्या गेवरा परियोजना में ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को सही पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं, तो उन्हें किस अनुतोष के हकदार होना चाहिए ?"

6. यह करार दिनांक 21.1.1991 को हुआ। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है-

माध्यस्थम् कार्यवाही दिनांक 24 जनवरी, 1991 गेवरा में आयोजित की गई।

एसईसीएल प्रबंधन, एमकेएमएस (एचएमएस यूनियन) और गेवरा परियोजना के परिवहन ठेकेदारों के बीच हुई चर्चा के विवरण के अनुसरण में, जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के



समक्ष लंबित प्रकरण को माध्यस्थम् के लिए क्रमांक 20(32)/87-एलएस, III के तहत निम्नलिखित संदर्भित शर्तों के तहत नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सौंपने के लिए सहमति बनी:

"ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को भुगतान के विषय पर विस्तृत चर्चा के पश्चात्, पक्षकारों के मध्य यह सहमति बनी कि मामले को श्री आर.के. मेहता, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक), एस.ई.सी.एल., बिलासपुर के समक्ष माध्यस्थम् हेतु भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा तथा मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।"

इसके अलावा संघ ने तर्क प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् का मुद्दा यह तय करना है कि "क्या ठेकेदारों द्वारा कार्यरत कर्मचारी समान प्रकार के कार्य के लिए समान भुगतान के हकदार हैं"।

उक्त माध्यस्थम् करार के पक्षकारों को पत्र क्रमांक एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएंडए) /4/90-91/54 दिनांक 9/10.1.91 के माध्यम से गेवरा परियोजना में दिनांक 24.1.91 को उपरोक्त मामले की सुनवाई के लिए सूचित किया गया था। इसमें दिनांक 11.2.90 को जबलपुर में मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) के साथ हुई चर्चा के विवरण का भी संदर्भ है।

मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट को भी सूचित किया गया। हालांकि, वे कार्यवाही में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे नई दिल्ली में किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे, जैसा कि उन्होंने बताया था।

(1) प्रारंभ में कोरबा (पश्चिम) के प्रबंधन और परिवहन ठेकेदारों तथा यूनियन को एक दूसरे को लिखित कथन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। जिसकी एक प्रति पहले ही मध्यस्थ को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(2) मध्यस्थ ने एमपीकेएमएस (एचएमएस संघ) का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री नाथूलाल पांडे से अनुरोध किया कि चूंकि यह माध्यस्थम् सीजीआईटी, जबलपुर के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (ग) (2) के तहत लंबित मामले से संबंधित है, इसलिए इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। चूंकि मध्यस्थ के समक्ष मामला वही है जो सीजीआईटी-सह श्रम न्यायालय, जबलपुर के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की उक्त धारा के तहत



उठाया जा रहा है, इसलिए उपरोक्त निर्णय को संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उससे सहमति व्यक्त की गई।

(3) माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान संघ ने ठेकेदारवार श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की है, जिसमें कार्य श्रेणी की प्रकृति, ठेकेदार द्वारा किया गया भुगतान तथा विधि/एनसीडब्ल्यूए I/IV के अंतर्गत किया जाने वाला भुगतान दर्शाया गया है। मध्यस्थ ने इसकी प्रतिलिपि ठेकेदारों तथा कोरबा (पश्चिम) क्षेत्र के प्रबंधन को सत्यापन तथा विवरण/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 15.03.2018 को दी है।

(4) संघ और परिवहन ठेकेदारों तथा प्रबंधन को सलाह दी गई कि संबंधित पक्षकारों द्वारा लिखित कथन प्राप्त करने के बाद उन्हें जवाब देना चाहिए और एक प्रति मध्यस्थ को देनी चाहिए और इसके लिए संबंधित पक्षकारों/संघों को 15 दिन का अर्थात् 10 फरवरी 1991 तक समय दिया गया है,। मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो आज की कार्यवाही में उपस्थित नहीं है, वे भी जवाब प्रस्तुत करेंगे।

(5) संघ और प्रबंधन के प्रतिनिधियों तथा परिवहन ठेकेदारों को मामले से संबंधित विवरण मध्यस्थ को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसकी एक प्रति अन्य पक्षकारों को दिए गए जवाब के साथ प्रस्तुत की जाए।

(6) दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कोरबा (पश्चिम) का प्रबंधन निम्नलिखित ठेकेदारों के संविदा के प्रारंभ/संविदा की समाप्ति के संबंध में लिखित रूप में विवरण देगा।

- (1) मेसर्स रोहिणी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
- (2) एक्स-मिलिट्री एंटरप्राइजेज।
- (3) केयटिन ट्रांसपोर्ट।

उपरोक्त जानकारी 15 दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थ को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(7) उपरोक्त के मद्देनजर दोनों पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि मामले को मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए आज की कार्यवाही/चर्चा के विवरण मुख्य श्रम आयुक्त को भेजे जाएंगे।

पक्षकारों के अनुरोध पर माध्यस्थम् की अगली तिथि 28 फरवरी 1991 को बिलासपुर में तय की गई।



7. यह उल्लेख करना उचित है कि दिनांक 29/5/1989 को मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष अगस्त, 1988 तथा 27 फरवरी, 1989 और 29 मई, 1989 को एक करार भी हुआ था, जो निम्नानुसार है:

“गेवरा परियोजना में परिवहन ठेकेदारों द्वारा भुगतान की जा रही दरों के संबंध में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के समक्ष अगस्त, 1988 और 27 फरवरी, 1989 को हुई चर्चाओं के अनुसरण में, मामले पर 29 मई, 1989 को आगे चर्चा की गई।

ठेकेदारों द्वारा कार्यरत श्रमिकों को भुगतान के विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई कि मामले को श्री आर.के. मेहता, महाप्रबंधक (व्यक्तिगत और प्रशासन), एसईसीएल, बिलासपुर के माध्यस्थ के लिए भेजा जाएगा, और उनका निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

8. दिनांक 9/1/1991 को मध्यस्थ ने प्रबंधन को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- (क) ठेकेदार-वार शामिल व्यक्तियों की संख्या;
- (ख) संविदा श्रमिकों को श्रेणी-वार भुगतान की जा रही राशि;
- (ग) शामिल हुए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में वर्ष-वार उपस्थिति;
- (घ) श्रेणीवार दावा किया गया पारिश्रमिक।

रिट याचिका क्र. 2526/95 में अनुलग्नक-ए/1 मध्यस्थ द्वारा जारी नोटिस की प्रति है।

9. दिनांक 8/4/1991 को मध्यस्थ ने पक्षकारों से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा। चूंकि विचार-विमर्श के लिए आवश्यक संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एक अन्य तिथि तय की जाएगी, जो अंतिम होगी। रिट याचिका क्र. 2526/95 में अनुलग्नक-A/3 8/4/1991 को आयोजित बैठक के कार्यवाही की प्रति है।

10. दिनांक 6/11/1991 को मध्यस्थ ने ठेकेदारों को फिर से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिट याचिका क्र. 2526/95 में अनुलग्नक-ए/4, 6/11/1991 को आयोजित बैठक के कार्यवाही की प्रति है। कुछ कार्यवाही की गई, तथापि, दिनांक 25/8/1994 को मध्यस्थ ने यह पंचाट पारित किया कि ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्यक्ति अर्थात् चालक, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टाइप फिटर, वेल्डर आदि एस.ई.सी.एल. द्वारा समान कार्य या पद पर नियोजित कर्मचारियों को दिए जाने वाले



समान वेतन के हकदार हैं। मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित श्रमिकों की सूची रिट याचिका क्र. 2384/95 में अनुलग्नक-आर/9 के रूप में संलग्न है। निर्णय का अंतिम पैरा इस प्रकार है:

“अतः मैं अपना निर्णय इस प्रकार देता हूँ:

यूनियन द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्यक्ति एनसीडब्ल्यूए के अनुसार वेतन पाने के हकदार हैं। ठेकेदार श्रमिकों को यह राशि देने के लिए उत्तरदायी है। एसईसीएल का प्रबंधन, ठेकेदार के बिलों से राशि वसूल कर ऐसे ठेकेदार श्रमिकों को उक्त ठेकेदारों के साथ काम करने की अवधि के लिए भुगतान में अंतर की भरपाई करने का हकदार है।

तत्पश्चात्, यह पंचाट लागू करने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजा गया। दिनांक 21/10/1994 को (रिट याचिका क्र. 2384/95 में अनुलग्नक-आर/8), निदेशक (कार्मिक) ने पंचाट को कार्यवाही के लिए मुख्य महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र को भेजा तथा निर्देश दिया कि इसकी प्रतिलिपि तीनों परिवहन ठेकेदारों को दी जाए। दिनांक 8/3/1995 को निर्देश दिया गया कि राशि जमा कराई जाए।

11. एस.ई.सी.एल. द्वारा दिनांक 22/7/1995 को इस पंचाट के विरुद्ध रिट याचिका क्र. 2526/95 प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात् एस.ई.सी.एल. द्वारा दिनांक 8/7/1996 को एक अन्य रिट याचिका क्र. 2626/96 प्रस्तुत की गई। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर ने इस आदेश को निदेशक (पी), एस.ई.सी.एल., मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. तथा एन.एल. पाण्डेय, महासचिव, एम.पी.के.एम.एस. को अग्रेषित किया। इस पर कुछ आपत्तियां उठाई गईं कि यह लागू करने योग्य नहीं है। इस पंचाट पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा विचार किया गया तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया:—

'आवेदक और अनावेदक की टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर सीएलसी (सी), नई दिल्ली इस मामले पर सुनवाई कर रही थी कि क्या ठेकेदारों द्वारा नियोजित परिवहन कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति मुख्य नियोक्ता अर्थात् एसईसीएल द्वारा नियोजित नियमित कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समान या अनुरूप है। सुनवाई प्रगति पर थी और मामले को गति देने के उद्देश्य से दोनों पक्ष सीएलसी (सी), नई दिल्ली के पास लंबित मुद्दों के निर्णय के लिए मामले को श्री आर.के. मेहता को संदर्भित करने पर सहमत हुए। उक्त माध्यस्थम् को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क के बाहर आपसी सहमति से स्वीकार किया गया और इसे सीएलसी (सी), नई दिल्ली के साथ पंजीकृत कराकर करार में परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि माध्यस्थम् को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क के बाहर



स्वीकार किया गया था, इसलिए इसे प्रकाशन के लिए मंत्रालय को नहीं भेजा गया। प्रबंधन ने कहीं भी इस बात पर आपत्ति नहीं की कि करार पर उचित निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे धारा 10 क (3) के तहत प्रकाशित किया जाना चाहिए। मध्यस्थ के समक्ष पहली कार्यवाही पर उक्त करार पर हस्ताक्षर करने के बाद, आवेदक संघ को श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामलों को वापस लेने के लिए तैयार किया गया और उनके समक्ष लंबित मामले पर आंदोलन न करने की दृष्टि से सीएलसी (सी), नई दिल्ली के समक्ष कार्यवाही की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। सीएलसी (सी), नई दिल्ली ने तदनुसार आवेदन स्वीकार किया और उसका निपटारा किया। दोनों पक्ष मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुए और लंबी सुनवाई के बाद श्री आर.के. मेहता ने अपना पंचाट दिया। पंचाट को प्रबंधन द्वारा प्रसारित किया गया और इसे सभी ठेकेदारों को भेज दिया गया। आपसी समझौते के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क के बाहर स्वीकार किया गया। माध्यस्थ भी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में बाध्यकारी है और इस तरह के निपटान के तहत देय किसी भी राशि को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (ग) (1) के तहत वसूल किया जा सकता है।

आवेदक (संघ) ने श्रमिकों को देय तथा वसूल की जाने वाली राशि की विस्तृत गणना प्रस्तुत की है, लेकिन अनावेदक (प्रबंधन) ने उक्त गणना पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की, इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत गणना श्री भागीरथी यादव एवं 159 अन्य को देय 1,40,88,945.61 रुपये के लिए स्वीकार की जाती है। तथापि, आरआरसी जारी करने से पूर्व, मैं अनावेदक अर्थात् एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र, गेवरा, जिला बिलासपुर (म.प्र.) के प्रबंधन को उक्त राशि अर्थात् 1,40,88,946/- रुपये (एक करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ छियालीस रुपये मात्र) इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा करने का निर्देश देता हूँ।”

12. उपरोक्त निर्देश को रिट याचिका क्र. 2626/96 में चुनौती दी गई थी और प्रार्थना यह की गई थी कि याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर 1,40,88,945.61 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक-पी/1 को उत्प्रेषण-पत्र की प्रकृति में रिट जारी करके रद्द किया जाए।

13. रिट याचिका क्र. 2626/96 दिनांक 19/7/1996 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर आर.एल.सी. के आदेश के तहत 50% राशि जमा करने का निर्देश दिया।

14. संघ ने रोक हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामला दिनांक 30/7/1996 को सुनवाई के लिए आया और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने आदेश पारित किया। इस आदेश को संघ ने माननीय



सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28/2/1997 को आदेश पारित किया, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है:—

“पंचाट के तहत शेष 50% राशि संबंधित कामगारों को उत्तरवादी के किसी नियमित कर्मचारी की प्रतिभूति/सुरक्षा या कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करने पर वितरित की जाएगी, ताकि रिट याचिका में उनके असफल होने की स्थिति में भुगतान किया जा सके। उक्त प्रतिभूति/सुरक्षा उत्तरवादियों को नोटिस देने के बाद आर.एल.सी., जबलपुर की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अपीलकर्ता द्वारा आर.एल.सी. के समक्ष कामगार के साथ-साथ प्रतिभूति/सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति की उचित पहचान की जाएगी।
दिनांक 30/7/1996 के आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है। कोई वाद व्यय नहीं।”

15. दिनांक 28/2/1997 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा आई.ए. क्र. 1/97 दायर की गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9/5/1997 को आदेश पारित किया, जिसका सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

“पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि दिनांक 28/2/1997 के आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं है। हालाँकि, आदेश को लागू करने के लिए, बकाया राशि के वितरण के लिए निम्नलिखित सहमत प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:

1. बकाया राशि के वितरण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारी के साथ-साथ जमानतदार को भी इसमें शामिल किया जा सके। यह प्रबंधन के व्यय पर किया जाएगा।
2. जो कर्मचारी और जमानतदार भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी पहचान उनके सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके की जाएगी।
3. जो कर्मचारी और जमानतदार चालक हैं, वे पहचान के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करेंगे।



4. अन्य कर्मचारियों और जमानतदारों की पहचान के संबंध में विवाद की स्थिति में उन्हें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा पहचाना जाना होगा, जो ठेका श्रम अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति इस न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदान की जाएगी और यह 'नियमित कर्मचारी' के भविष्य निधि पर भार से भिन्न होगी।

6. प्रबंधन को संवितरण के बारे में ठेकेदारों को सूचित करने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि, संवितरण के समय ठेकेदारों की अनुपस्थिति के कारण संवितरण कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आएगी।

हमें उम्मीद है कि राशि का संवितरण शीघ्रता से किया जाएगा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त यथासंभव छह सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करेंगे।

तदनुसार, 1997 के I.A. क्रमांक 1 का निराकरण किया जाता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने आदेश का अनुपालन किया तथा सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 6/10/1997 (अनुलग्नक-आर/2(2) रिट याचिका क्र. 2626/96) की है।

17. इन याचिकाओं की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 27/4/2004 को संघ के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एसईसीएल ने कुछ ठेकेदारों से राशि वसूल कर ली है, यह भी प्रस्तुत किया गया कि इसकी रसीदें रिट याचिका क्रमांक 2626/96 में दाखिल की गई हैं। इस न्यायालय ने आदेश पारित किया कि यदि राशि पहले ही वसूल हो चुकी है, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एस.ई.सी.एल. के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। श्री एम.के. थापर, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2526/05 में 10/5/2004 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेसर्स के.टी.पी. लिमिटेड से 20,14,204 रुपये की राशि वसूल की गई है तथा मेसर्स आर.ए.पी. लिमिटेड से 63,90,369 रुपये की राशि वसूल की गई है। शपथ-पत्र में यह भी कहा गया है कि एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड से 46,84,373.36 रुपये की राशि वसूल नहीं की जा सकी, जैसा कि कंपनी ने एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड से वसूल किया था, क्योंकि कंपनी क्षेत्र से प्रस्थान कर चुकी थी तथा उसका पता नहीं चल पाया है।



18. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए शपथपत्र के पैराग्राफ 2, 6, 8 और 9 सुसंगत हैं तथा नीचे उद्धृत हैं:

2. यह कि, इस याचिका के माध्यम से एस.ई.सी.एल. ने एकमात्र मध्यस्थ श्री आर.के. मेहता द्वारा पारित दिनांक 25.08.1994 के पंचाट को चुनौती दी है। माननीय म.प्र. न्यायालय ने दिनांक 14/05/96 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पंचाट के अनुसार बकाया राशि का 75% भुगतान श्रमिकों को करने का निर्देश दिया था, तदनुसार आर.एल.सी. (सी) जबलपुर ने दिनांक 19/6/1996 के आदेश द्वारा गेवरा क्षेत्र के प्रबंधन को इस आदेश के 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में रु. 1,40,88,946= 00 की राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

6. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि का वितरण आर.एल.सी. (सी) की देखरेख में किया गया है। 160 कर्मचारियों में से 136 की पहचान की गई और तदनुसार उन्हें 66,48,355= 00 की राशि के चेक वितरित किए गए हैं और शेष 24 चेक 7,15,758= 12 की राशि वापस कर दी गई है। यह वितरण बिलासपुर और जबलपुर में दिनांक 28/5/97 से 30/5/97, 19/6/97 से 26/6/97, 21/8/97 और 8/9/97 तक किया गया था।

8. कि, आक्षेपित निर्णय द्वारा मध्यस्थ ने तीनों ठेकेदारों की संपत्तियां निम्नानुसार निर्धारित की हैं:

i) मेसर्स केटीपी लिमिटेड	रुपये 30,14,203 = 56
ii) मेसर्स एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड	रुपये 46,84,373 = 36
iii) मेसर्स आर.ए.पी. लिमिटेड	रुपये 63,90,368 = 69

कुल रुपये 1,40,88,945 = 61

पंचाट के अनुसार ठेकेदारों को श्रमिकों को राशि का भुगतान करना होगा तथा एस.ई.सी.एल. का प्रबंधन ठेकेदारों के बिलों से राशि वसूल कर, उक्त ठेकेदारों के साथ काम करने वाले ऐसे ठेकेदार श्रमिकों को भुगतान में अंतर की राशि की भरपाई करने का हकदार है।

9. यह कि, एस.ई.सी.एल. प्रबंधन ने ठेकेदारों की देयता के लिए एस.ई.सी.एल. द्वारा किए गए/जमा किए गए भुगतानों के विरुद्ध निम्नलिखित राशि विधारित कर ली है।



i) मेसर्स के.टी.पी. लिमिटेड ने कुसमुंडा क्षेत्र से 10,00,000= 00 रुपये तथा हसदेव क्षेत्र से शेष 20,14,204= 00 रुपये अपनी सहयोगी कंपनी से लिये।

ii) मेसर्स आर.ए.पी. लिमिटेड 63,90,369= 00 रुपए।

19. मेसर्स आर.ए.पी लिमिटेड और एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कोई रिट याचिका प्रस्तुत नहीं की है, केवल मेसर्स केटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रिट याचिका क्रमांक 2384/95 प्रस्तुत की है।

20. सुनवाई के दौरान, विभिन्न तिथियों पर मामले सूचीबद्ध किए गए। कुछ तिथियों पर, विद्वान अधिवक्ताओं ने मामले को निपटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे समझौता नहीं कर सके और तर्क दिया कि इस मामले को तदनुसार गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसे दर्ज किया गया है।

21. मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अली असगर द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि मामले का निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी मुख्य श्रम आयुक्त थे, न कि मध्यस्थ। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मध्यस्थ के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसके लिए, एआईआर 1992 एससी 457 (पैरा 22) में दीनानाथ और अन्य बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया गया है। एआईआर 1992 एससी 457 में दर्ज मामले में निर्णय का पैरा 22 इस प्रकार है:

“22. किसी भी प्रक्रिया, संचालन या किसी भी प्रतिष्ठान में किसी अन्य कार्य में ठेका श्रमिकों के रोजगार को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न की जांच करना और यह तय करना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। यह सरकार के लिए एक ऐसा मामला है, जिस पर अधिनियम की धारा 10 के तहत विचार किए जाने की आवश्यकता के अनुसार मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। अधिनियम में केवल तभी परिणाम दिए गए हैं, जब मुख्य नियोक्ता या श्रम ठेकेदार क्रमशः धारा 9 और 12 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जो अधिनियम के तहत परिकल्पित दंडात्मक प्रावधान है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 23 और 25 का संदर्भ लिया जा सकता है। इस प्रकार हमारा दृढ़ मत है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में केवल इसलिए कि ठेकेदार या नियोक्ता ने अधिनियम या नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, न्यायालय ठेका श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता का कर्मचारी मानने के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। हम कर्नाटक



उच्च न्यायालय या गुजरात उच्च न्यायालय (पूर्वोक्त) के निर्णय पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये निर्णय इस न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं, लेकिन हम अभिलेख पर रखना चाहेंगे कि हम मुख्य नियोक्ता के पंजीयन न कराने या श्रम ठेकेदार को लाइसेंस न देने के प्रभाव के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्वोक्त टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं और न ही उपरोक्त मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत है। हमारा मानना है कि केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय सही हैं और हम उन्हें स्वीकार करते हैं।”

यह निवेदन किया जाता है कि यदि इस न्यायालय को लगता है कि मध्यस्थ के पास अधिकार क्षेत्र था, तो उसने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। यह भी कहा गया है कि भले ही पक्ष मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष सहमत हुए हों, फिर भी आयकर अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय की राय में इस तर्क का कोई महत्व नहीं है।

22. एसईसीएल के विद्वान अधिवक्ता डॉ. शुक्ला ने यह भी कहा कि मामले का निर्णय मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा किया जाना चाहिए था, न कि मध्यस्थ द्वारा। यह तर्क बहुत विलम्ब से उठाया जा रहा है और अन्यथा भी इसका कोई महत्व नहीं है।

23. डॉ. शुक्ला और श्री अली असगर ने प्रस्तुत किया कि राजपत्र में करार और पंचाट के प्रकाशन की कमी के कारण कार्यवाही दोषपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाशन अनिवार्य है। एआईआर 1990 मद्रास 29 में प्रतिवेदित कृष्णावेनी ट्रांसपोर्टर्स बनाम सोशल डिप्टी कमीशन लेबर के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय और 1968 एम.पी.एल.जे. 890 में प्रतिवेदित के.पी. सिंह बनाम एस.के. गोखले के मामले में म.प्र. उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय का संदर्भ लिया गया है। के.पी. सिंह (पूर्वोक्त) में निर्णय का पैरा 11 निम्नानुसार है:

“11. अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 10-क की विभिन्न उपधाराओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मध्यस्थ का निर्णय अमान्य हो जाएगा। इस संबंध में हम देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 11 में सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, लेकिन मध्यस्थ को अपनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए मुक्त कर दिया गया है। यह निश्चित रूप से माध्यस्थम् के सिद्धांतों के अनुरूप है और मध्यस्थ पर एकमात्र जिम्मेदारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना है और वह उन सिद्धांतों के अनुसार अपनी प्रक्रिया विकसित कर सकता है। लेकिन ताकि वह माध्यस्थम् के लिए विवाद के बिंदुओं के न्यायनिर्णयन के साथ आगे बढ़



सके, धारा 10-क द्वारा कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो शब्दों से स्पष्ट है, पक्षकारों को माध्यस्थम् करार करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन एक बार ऐसा करार हो जाने के बाद पक्षकारों पर निर्धारित प्रपत्र में करार करने और माध्यस्थम् की एक प्रति अग्रेषित करने का दायित्व है। समुचित सरकार को सहमति पत्र भेजा जाता है, जिसके प्राप्त होने पर समुचित सरकार को उसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। इसका अर्थ है कि विवाद में रुचि रखने वाले सभी पक्षकारों को विवाद को माध्यस्थम् के लिए भेजे जाने की सूचना होनी चाहिए और उनमें से कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के समक्ष जैसा कि वह चाहे अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। उपधारा (3-क) के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्देशात्मक है और सरकार को इसे अपनाना आवश्यक है, यदि वह पंचाट को उन पक्षकारों या व्यक्तियों पर बाध्यकारी बनाना चाहती है, जिन्होंने पंचाट के लिए संदर्भ में भाग नहीं लिया है। अधिनियम की धारा 10 क की उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के कारण, पक्षकारों को निर्णय के प्रवर्तन हेतु साधन उपलब्ध नहीं होगा।”

वर्तमान प्रकरण में, मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष लंबित था और मुख्य श्रम आयुक्त ने ही मामले को माध्यस्थम् के लिए भेजा था, इसलिए मध्यस्थ द्वारा मामले को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

24. तर्क-वितर्क के अंतिम चरण में डॉ. शुक्ला ने प्रश्न उठाया कि क्या अधिनियम की धारा 10 के तहत सी.जी.आई.टी. को संदर्भित करने के बाद मध्यस्थ को संदर्भित किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि सी.जी.आई.टी. को संदर्भित दिनांक 20-11-1987 को किया गया था। तर्क यह है कि सी.जी.आई.टी. को संदर्भित करने के बाद, यह सीजीआईटी है, जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, न कि मुख्य श्रम आयुक्त के पास।

25. उपरोक्त प्रश्न मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष उठाया ही नहीं गया था। इतना ही नहीं, पक्षकारों ने भाग लिया और फिर वे मामले को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए। कार्यवाही के अनुसार संघ के प्रतिनिधि ने श्रम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, उन्होंने इसे वापस ले लिया। उक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय में, उठाया गया तर्क अस्वीकार करने योग्य है और तदनुसार इसे अस्वीकार किया जाता है।

26. एसईसीएल और मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क का उल्लेख किया। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क माध्यस्थम् के लिए विवाद को संदर्भित करती है, जो सुसंगत है और नीचे उद्धृत है:



“10 क. विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वेच्छया निर्देश (1) जहां कि कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाने के लिए सहमत हों, वहां वे विवाद के धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किए जाने से पूर्व किसी भी समय विवाद को लिखित करार द्वारा, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को (जिनके अन्तर्गत श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी आता है) जिन्हें माध्यस्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा।

2[(1 क) जहां कि माध्यस्थम् करार यह उपबन्ध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्देशित किया जाए, वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबन्ध करेगा, जो निर्देश पर उस समय कार्यारंभ करेगा, जब मध्यस्थ राय में बराबर बंटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे जैसी विहित की जाए।

(3) माध्यस्थम् करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और समुचित सरकार, ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से 3 [एक मास] के भीतर, उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(3 क) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्देश करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार, उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी रीति से अधिसूचना निकाल सकेगी, जैसी विहित की जाए, और जब ऐसी कोई अधिसूचना निकाली गई हो, तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं हैं किंतु विवाद से सम्पृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाएगा ।

(4) मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा, या करेंगे और, यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट, समुचित सरकार को निवेदित करेगा या करेंगे ।



4(क) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया गया है और उपधारा (3 क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हों, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(5) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की कोई भी बात इस धारा के अधीन के माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, मामले को मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुख्य श्रम आयुक्त को इस पर निर्णय लेना था और किसी भी समय आपत्ति नहीं उठाई गई थी और वास्तव में पक्षकारों ने मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया था। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समक्ष पाँच या छह बैठकों में, जिनमें पक्षकारों ने भाग लिया था, सभी व्यक्ति अगस्त, 1988, 27-2-1989 और 29-5-1989 को सहमत हुए थे कि मामले को मध्यस्थ को भेजा जाए और ऐसे सभी को सूचना दी गई थी और किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई कि उसे कोई अवसर या जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह आदेश पत्रों में दर्ज है।

27. संघ के विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार, श्रम मंत्रालय और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, नई दिल्ली (रिट याचिका क्र. 2526/1995 में अनुलग्नक-पी/6 सी) के आदेश का संदर्भ दिया, जो इस प्रकार है:

1. मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा ने वर्ष 1987 में ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 25(2) (फ) (क) के अंतर्गत साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा की गेवरा परियोजना के ठेका श्रमिकों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विवाद उठाया था। चूंकि विवाद था, इसलिए जांच शुरू की गई थी। हालांकि, जब जांच की कार्यवाही चल रही थी, तब ठेकेदार रोहिणी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पत्र दिनांक 8-11-89 के माध्यम से सूचित किया कि महासचिव, म.प्र. कोयला मजदूर सभा ने इस विवाद को माध्यस्थम् के माध्यम से हल करने पर सहमति व्यक्त की है। ठेकेदार ने माध्यस्थम् करार की एक प्रति भी भेजी थी। माध्यस्थम् करार में, श्री आर.के. मेहता, प्रबंधक (कार्मिक) साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। माध्यस्थम् की कार्यवाही अभी भी प्रक्रियाधीन है।



2. 24 जनवरी 1991 को गेवरा में आयोजित माध्यस्थम् कार्यवाही में, मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा के महासचिव सहित माध्यस्थम् करार के पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि मामले को सीएलसी के समक्ष नहीं उठाया जाना चाहिए। 24 जनवरी 1991 की कार्यवाही मध्यस्थ श्री आर.के. मेहता से उनके 30 जनवरी, 1991 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है।

3. कार्यवाही का पैरा 7 इस प्रकार है: उपरोक्त के मद्देनजर, पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि मामले को मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए आज के बैठक की कार्यवाही/चर्चा मुख्य श्रम आयुक्त को भेजे जा सकते हैं।"

4. आवेदक का उपरोक्त अनुरोध स्वीकार किया जाता है। कोयला मजदूर सभा के महासचिव द्वारा 1987 में प्राप्त शून्य दिनांकित आवेदन, जो कि कोयला मजदूर सभा (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 25 (2) (फ) (क) के तहत जांच के लिए था, को निराकृत माना जाता है और मामले को समाप्त माना जाता है।

प्रतिलिपि -

कार्मिक प्रबंधक (आईआर), एसईसीएल:

सूचनार्थ:

सही/-

(शंभू दयाल)

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

महाप्रबंधक (विनियमन और उत्पादन), एसईसीएल

प्रतिलिपि: 1) महासचिव, म.प्र. कोयला मजदूर सभा, साउथ झारखंड कोलियरी, जिला सरगुजा म.प्र.

2) श्री आर.के. मेहता, महाप्रबंधक (विनियमन और उत्पादन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर, म.प्र.

3) रोहिणी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, पी.ओ. गेवरा परियोजना, जिला बिलासपुर म.प्र."

28. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब मामला दिनांक 24-1-1991 को मध्यस्थ के समक्ष था, तो मध्यस्थ ने एमपीकेएमएस (एचएमएस यूनियन) का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री नाथूलाल पांडे से अनुरोध किया कि चूंकि यह माध्यस्थम् सीजीआईटी, जबलपुर के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (ग) (2) के तहत लंबित मामले से संबंधित है, इसलिए इसे वापस ले लिया जाना चाहिए।



चूंकि मध्यस्थ के समक्ष मामला वही है, जो सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, जबलपुर के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की उक्त धारा के तहत उठाया जा रहा है, इसलिए उपरोक्त निर्णय को संघ द्वारा स्वीकार और सहमति दी गई। कार्यवाही में श्री एच.पी. सिंह, श्री आर.डी. दत्ता, श्री ए.के. गोपालन और श्री नाथूलाल पांडे उपस्थित थे। मध्यस्थ ने यह उल्लेख किया कि उपरोक्त के मद्देनजर पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि मामले को मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए आज के बैठक की कार्यवाही/चर्चा मुख्य श्रम आयुक्त को भेजे जाएं। इस पर सी.एल.सी. ने कार्यवाही समाप्त कर दी।

29. अब संघ की ओर से तर्क यह है कि उपरोक्त करार के अनुसार, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही जारी रही और किसी ने भी उसके अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं उठाई, यहां तक कि पंचाट पारित होने तक माध्यस्थम् कार्यवाही को कभी चुनौती नहीं दी गई। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पंचाट पारित होने के बाद ही मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिट याचिका क्र. 2384/1995 प्रस्तुत की गई है और एस.ई.सी.एल. द्वारा रिट याचिका क्र. 2526/1995 और 2626/1996 प्रस्तुत की गई है।

30. यह प्रश्न जोरदार तरीके से उठाया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10- क तहत भारत के राजपत्र में संदर्भ की शर्तों का प्रकाशन नहीं किया गया है।।

31. संघ के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, सर्वप्रथम यह आवश्यक नहीं है और अन्यथा भी यह इतना घातक नहीं है कि माध्यस्थम् पंचाट को रद्द किया जाए, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि प्रकाशन न करना एक अनियमितता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ठेकेदारों ने पूरी कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दी। उन्होंने मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया और उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया कि संदर्भ राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। उन्होंने समान रूप से भाग लिया और वास्तव में मजदूर सभा द्वारा धारा 33 (ग) (2) के तहत प्रस्तुत आवेदन को वापस लेने में सफल रहे और बाद में मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 25 (2) (फ) (क) और (ख) के तहत कार्यवाही, जो उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू की गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने कार्यवाही को स्वीकार कर लिया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि यह करार मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष चल रही कार्यवाही के दौरान किया गया था, इसलिए यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (त) के अनुसार समझौता माना जाएगा।

32. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (त) सुसंगत है जो इस प्रकार है:



"2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो (त) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसी विहित की जाए और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा (इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी) को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो;"

33. यूनियन के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी मुख्य श्रम आयुक्त हैं और उनके समक्ष ही करार हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने सुनीता अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2000) 2 एससीसी 615 (पैरा 4), सोहन सिंह एवं अन्य बनाम महाप्रबंधक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (1984) सप.-एससीसी 661 (पैरा 2), प्रसून रॉय बनाम कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (एआईआर 1988 एससी 205) पैरा 6, 8 एवं 10, मेसर्स नीलकंठन एंड ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन बनाम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेलम एवं अन्य (एआईआर 1988 एससी 2045) पैरा 2, एन. चेलाप्पन बनाम सचिव, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (1975) 1 एससीसी 289 पैरा 7, चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला (2002) 6 एससीसी 127 पैरा 32, 34, 39 और 41, श्रीमती रत्नी देवी बनाम मुख्य आयुक्त, दिल्ली (एआईआर 1975 एससी 1699) पैरा 12, मेसर्स पन्नालाल बिनीराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (एआईआर 1957 एससी 397) पैरा 45 और रुक्मिणी अम्मा सारदाम्मा बनाम कल्याणी सुलोचना और अन्य (एआईआर 1993 एससी 1616) पैरा 22 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सन्दर्भ लिया।

34. यूनियन के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उनके आचरण से ठेकेदार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी अनुतोष के लिए अयोग्य हैं। यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका क्र. 2384/1995 में याचिकाकर्ता और एस.ई.सी.एल. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं, इस आधार पर कि पक्षकार को स्वच्छ आशय से आना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि वे धारा 33 (ग) (2) के तहत प्रस्तुत आवेदन को वापस लेने में सफल रहे और इसी तरह ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 25 (2) (v) (ए) और (v) के तहत कार्यवाही भी वापस लेने में सफल रहे और अब यह स्थिति पुनःस्थापित नहीं की जा सकती। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (एआईआर 1992 एससी 294 और 295) पैरा 72 और 76 और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विस, अमरावती (एआईआर 1969 एससी 329) पैरा 11 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सन्दर्भ लिया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का पैरा 11 निम्नानुसार है:



"11. किसी भी स्थिति में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 सहित निजी ऑपरेटरों के लिए उनके आचरण को देखते हुए 10/11 सितंबर, 1965 के आर.टी.ए. के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाणिकता के स्वरूप में रिट के लिए आवेदन करना उचित नहीं है। यह विवादित नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 सहित निजी ऑपरेटर 10/11 सितंबर, 1965 को आयोजित आर.टी.ए. की बैठक में व्यक्तिगत रूप से या विधिवत नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित थे। उत्तरवादी क्रमांक 1 और अन्य निजी ऑपरेटरों ने सुनवाई के दौरान आर.टी.ए. को आश्वासन दिया कि वे उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं को वापस ले लेंगे। ऐसे आश्वासनों पर और आश्वासन के अनुसार रिट याचिकाओं की वास्तविक वापसी के अधीन, आर.टी.ए. ने उक्त बैठक में मामले पर विचार किया और पक्षकारों को सुनने के बाद, समझौते को प्रभावी करने वाला आदेश दिया। यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 सहित निजी ऑपरेटर 10/11 सितंबर, 1965 के आदेश के पक्षकार थे, उन्होंने उस आदेश को स्वीकार किया था, उस पर कार्यवाही की थी तथा लगभग एक वर्ष और 9 महीने तक उससे लाभ और सुविधाएं प्राप्त की थीं। लेकिन उक्त आदेश के लिए जिसने अपीलकर्ता के अनुज्ञापत्र के संचालन को 1 जुलाई, 1967 तक निलंबित कर दिया था, उत्तरवादी क्रमांक 1 सहित निजी ऑपरेटरों को उन्हीं मार्गों पर परिचालन के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र नहीं मिल सकते थे क्योंकि मूल अनुज्ञापत्र के अस्तित्व के दौरान अधिनियम की धारा 62 के तहत कोई मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और अन्य निजी ऑपरेटरों की ओर से आरटीए के 10/11 सितंबर, 1965 के आदेश में ऐसी सहमति थी कि वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट देने के हकदार नहीं हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उत्प्रेषण रिट ऐसे मामले में नहीं दी जाएगी जहां आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ऐसी उपेक्षा या चूक होती है जिसे समय बीतने और अन्य परिस्थितियों के साथ लिया जाता है, जिससे प्रतिकूल पक्ष को हानि होती है। यह सिद्धांत काफी हद तक चांसरी न्यायालय में विवेक के प्रयोग के समान है, यद्यपि समरूप नहीं है। इस सिद्धांत को सर बार्न्स पीकॉक ने लिंडसे पेट्रोलियम कंपनी बनाम प्रॉस्पर आर्मस्ट्रॉंग हर्ड, अब्राम फेयरवेल और जॉन केम्प, (1874) 5 पीसी 221 पृष्ठ 239 में स्पष्ट रूप से इस प्रकार बताया है:

'अब न्याय न्यायालयों में अतिविलंब का सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत नहीं है। जहां उपचार देना व्यावहारिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा, या तो इसलिए कि पक्ष ने अपने आचरण से वह कार्य किया है जिसे निष्पक्ष रूप से उसका आचरण माना जा सकता है और उसने उपेक्षा की है, यद्यपि उस उपचार का त्याग नहीं किया है, फिर भी दूसरे पक्ष को ऐसी स्थिति में डाल



दिया है जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा यदि इन दोनों मामलों में से किसी में भी उपचार का दावा किया जाता है, तो समय की चूक और विलंब अधिक तात्त्विक हैं। लेकिन हर मामले में, यदि अनुतोष के विरुद्ध एक तर्क, जो अन्यथा न्यायसंगत होगा, केवल विलंब पर आधारित है, तो वह विलंब निश्चित रूप से किसी भी सीमा के कानून द्वारा रोक के बराबर नहीं है, उस बचाव की वैधता को काफी हद तक न्यायसंगत सिद्धांतों पर आजमाया जाना चाहिए। दो परिस्थितियाँ, जो ऐसे मामलों में हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, विलंब की अवधि और अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति, जो किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकती हैं और उपचार से संबंधित एक या दूसरे तरीके को अपनाने में न्याय या अन्याय का संतुलन उत्पन्न कर सकती हैं। इस अनुच्छेद को इस न्यायालय द्वारा हाल ही में द मून मिल्स लिमिटेड बनाम एम.आर. मेहरा, अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, बॉम्बे, एआईआर 1967 एससी 1450 मामले में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। हमारी राय में, इस निर्णय का सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होता है और चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 और अन्य निजी ऑपरेटरों ने विलंब या उनके आचरण को उचित ठहराने वाली किसी भी परिस्थिति का तर्क नहीं दिया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में उत्प्रेषण रिट प्रदान करने में श्रुति की थी।

यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह के मामले में जब समझौता हो चुका है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल तकनीकी आधार पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। **वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वीएसटी इंडस्ट्रीज वर्क्स यूनियन और एक अन्य (2001) 1 एससीसी 298 पैरा 11, नरपत सिंह और अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण और एक अन्य (2002) 4 एससीसी 666 पैरा 10 और महाराज चिंतामणी सरन नाथ शाहदेव बनाम बिहार राज्य और अन्य (1999) 8 एससीसी 26 पैरा 11, 15 और 38** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ लिया गया है।

35. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियाँ न्यायालय के समक्ष हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। **शांगरीला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य (एआईआर 1996 एससी 2410)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया है। अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैरा 11 का संदर्भ दिया, जो निम्न प्रकार है:

11. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों का संज्ञान ले सकता है और पक्षकारों को पूर्ण और पर्याप्त न्याय दिलाने के लिए समुचित आदेश पारित



कर सकता है। उच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र असाधारण होने के कारण, सामान्यतः जांच के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जा सकता है। न्याय के उद्देश्यों में से एक संतोषप्रद और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। यदि किसी पक्ष द्वारा पहले कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है, तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से पहले, न्यायालय प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान में रख सकता है और अनुतोष देने से पहले पक्ष को अनुचित लाभ त्यागने के लिए कह सकता है।"

36. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि माध्यस्थम् पंचाट तीन ठेकेदारों मेसर्स केटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एक्स मिलिट्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोहिणी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध है और केवल मेसर्स केटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की है और अन्य दो ठेकेदारों ने पंचाट को चुनौती देने वाली कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की है और उनके विरुद्ध पंचाट अंतिम हो गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत पर राशि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए कमल तनन बनाम एम.एल. वसीस्टता (2001) 9 एससीसी 263 पैरा 6, के.के. वर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (2002) 10 एससीसी 406 पैरा 3, मोहम्मद अजीज आलम और अन्य बनाम भारत संघ (2001) 10 एससीसी 93 पैरा 2 और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और एक अन्य बनाम ए.पी. वासन और अन्य (2003) 5 एससीसी 321 पैरा 27 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है।।

37. दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं और क्या वे एक ही तरह के वेतन के हकदार हैं? मध्यस्थ ने माना है कि वे अपनी पहचान के लिए ऐसा कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने मेसर्स मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ऑड्रे डी' कोस्टा और एक अन्य एआईआर 1987 एससी 1281 (पैरा 7) में प्रतिवेदित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया। उक्त निर्णय का पैरा 7 इस प्रकार है।

* 7. इस याचिका में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 अधिनियम की धारा 4 के दायरे में किसी भी अनुतोष का हकदार है। अधिनियम की धारा 4 के तहत ऐसा अनुतोष प्रदान करने के लिए कर्मचारी को यह स्थापित करना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में देय हो, उन दरों से कम अनुकूल दरों पर भुगतान किया जा रहा है, जिस पर नियोक्ता विपरीत लिंग के कर्मचारियों को समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य करने के लिए भुगतान करता है। क्या कोई विशेष कार्य प्रकृति में दूसरे कार्य के समान या समरूप है, इसका निर्धारण तीन बातों पर किया जा सकता है। यह तय करने में कि क्या कार्य समान है या सामान्य तौर पर समान है, प्राधिकरण



को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; इसके बाद, यह पता लगाने में कि क्या कोई अंतर व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, प्राधिकरण को समान रूप से व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि समान कार्य की अवधारणा में विवरणों में अंतर निहित है, लेकिन इनसे तुच्छ आधारों पर समानता के दावे को विफल नहीं किया जाना चाहिए। इसे वास्तव में किए गए कर्तव्यों को देखना चाहिए, न कि सैद्धांतिक रूप से संभव कर्तव्यों को। तुलना करने में प्राधिकरण को पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामान्य रूप से किए जाने वाले कर्तव्यों को देखना चाहिए। हालांकि, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों असुविधाजनक समय पर काम करते हैं, वहां यह आवश्यक नहीं है कि रात्रि में कार्य करने वाले सभी लोगों को समान मूल दर का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि सामान्य दिन की शिफ्ट में काम करने वाले सभी लोगों को किया जाता है। इस प्रकार, दिन में कार्य करने वाली महिला रात्रि में कार्य करने के लिए उच्च मूल दर पर पुरुष के साथ समानता का दावा नहीं कर सकती है, अगर वास्तव में उस दर पर रात्रि में कार्य करने वाली महिलाएं भी हैं, और आवेदक स्वयं उस दर की हकदार होगी यदि वह शिफ्ट बदलती है। (आई.टी. स्मिथ और जे.सी. वुड: इनडस्ट्रीयल लॉ, दूसरा संस्करण, (बटरवर्थ) पृष्ठ 308 देखें)। हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि पारिश्रमिक के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। कुछ प्रकार के कार्य हैं जिन्हें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। पुरुष लोडिंग, अनलोडिंग, भारी सामान उठाने और ले जाने जैसे कार्य करते हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ऐसे मामलों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव केवल तब होता है जब एक ही या समान प्रकार का काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग भुगतान किया जाता है। जहाँ कहीं भी लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाया जाता है, वहाँ आगे की जाँच से पहले समुचित कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठान में दो कार्यों को उन मानदंडों के आवेदन द्वारा समान मूल्य दिया जाता है जो स्वयं गैर-भेदभावपूर्ण हैं (अर्थात् वे मानदंड जो कार्य द्वारा की गई माँगों की प्रकृति और सीमा को सीधे देखते हैं) जो एक ही माँग पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करते हैं और यह पाया जाता है कि इन दो कार्यों में कार्यरत एक पुरुष और एक महिला को अलग-अलग भुगतान किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। (पॉल डेविस और मार्क फ्रीडलैंड देखें: लेबर लॉ, पाठ और सामग्री (1979) पृष्ठ 297)।"

38. विद्वान अधिवक्ता ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 21(4) के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया, जिसमें श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना मुख्य नियोक्ता का वैधानिक कर्तव्य बताया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21(4) नीचे उद्धृत है:



21. मजदूरी के संदाय का उत्तरदायित्व-

(1) xxx xxx xxx

(2) xxx xxx xxx

(3) xxx xxx xxx

(4) यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है या कम संदाय करता है तो प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों को, यथास्थिति, पूरी मजदूरी या शोध्द असंदत्त अतिशेष का संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को वह ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन उसे संदेय किसी रकम में से कटौती करके या उसके द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

इसके समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने हरियाणा वित्तीय निगम एवं एक अन्य बनाम जगदम्बा ऑयल मिल्स एवं एक अन्य (2002) 3 एससीसी 496, पैरा 19,20 एवं 22, भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालीताणा शुगर मिल (प्रा.) लिमिटेड (2003) 2 एससीसी 111, पैरा 59 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया।

39. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के सुसंगत प्रावधानों पर विचार करना भी उचित है।

40. नियमों के नियम 75 और 78 सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत हैं:

"75. नियोजित व्यक्तियों की पंजी- प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक पंजीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में, जहां वह ठेका श्रमिक नियोजित करता है, फार्म XIII में एक पंजी बनाए रखेगा।

78. मस्टर रोल, पारिश्रमिक पंजी, कटौती पंजी और ओवरटाइम पंजी- (1) (क) प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक कार्य के संबंध में, जिस पर उसने ठेका श्रमिक नियोजित किया है, -

i) फॉर्म XVI और फॉर्म XVII में क्रमशः एक मस्टर रोल और पारिश्रमिक का पंजी बनाए रखना;

बशर्ते कि जहां मजदूरी अवधि एक पखवाड़ा या उससे कम है, वहां ठेकेदार द्वारा फॉर्म XVI में मजदूरी-सह-मस्टर रोल की एक संयुक्त पंजी बनाए रखना;

(ii) फॉर्म XX, फॉर्म XXI और फॉर्म XXII में क्रमशः नुकसान या हानि के लिए कटौती का पंजी, जुर्माना पंजी और अग्रिम पंजी बनाए रखना;

(iii) फॉर्म XXII में ओवरटाइम पंजी बनाए रखना, जिसमें ओवरटाइम कार्य के घंटों की संख्या और उसके लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दर्ज की जाएगी;



(ख) प्रत्येक ठेकेदार, जहां मजदूरी अवधि एक सप्ताह या उससे अधिक है, पारिश्रमिक के संवितरण से कम से कम एक दिन पहले, श्रमिकों को फॉर्म XIX में मजदूरी पर्चियां जारी करेगा;

(ग) प्रत्येक ठेकेदार, मजदूरी पंजी या मस्टर रोल-सह-मजदूरी पंजी, जैसा भी मामला हो, पर उससे संबंधित प्रविष्टियों के विरुद्ध संबंधित श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा और प्रविष्टियों को ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के आद्याक्षरों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और नियम 73 में दिए गए तरीके से प्रधान नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

(घ) उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं, उन अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा बनाए रखे जाने वाले निम्नलिखित पंजी और अभिलेख इन नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा बनाए रखे जाने वाले पंजी और अभिलेख माने जाएंगे, अर्थात:-

(क) मस्टर रोल;

(ख) मजदूरी पंजी;

(ग) कटौतियों का पंजी;

(घ) ओवरटाइम पंजी;

(ङ) जुर्माने का पंजी;

(च) अग्रिम पंजी;

(छ) वेतन पर्ची।

(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां ठेकेदार द्वारा किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि या विनियमन के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कार्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संयुक्त या वैकल्पिक फॉर्म का उपयोग करने की मांग की जाती है या ऐसे मामलों में जहां बेहतर प्रशासन के लिए यंत्रीकृत वेतन रोल प्रस्तुत किए जाते हैं, इन नियमों के तहत निर्धारित किसी भी फॉर्म के स्थान पर वैकल्पिक उपयुक्त फॉर्म या फॉर्म का उपयोग क्षेत्रीय श्रम आयोग और केंद्रीय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है।

41. यूनियन के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इनमें से कोई भी पंजी मुख्य श्रम आयुक्त या मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि पंजी प्रस्तुत न किए जाने के कारण,



हीरालाल और अन्य बनाम बड़कुललाल और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जो एआईआर 1983 8 सी 235 (पैरा 4) में प्रतिवेदित किए गए थे और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2003) 6 एससीसी 528 (पैरा 13) में प्रतिवेदित किए गए थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय का पैरा 13 इस प्रकार है:

“13. इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि उत्तरवादी कर्मचारी अपीलकर्ता के कर्मचारी थे, केवल नियंत्रण के परीक्षण पर आधारित नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करते समय मामले के अन्य साक्ष्य और तथ्य और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी शामिल है कि अपीलकर्ता ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया। हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए ऐसे समवर्ती निष्कर्ष कि कर्मचारियों को अपीलकर्ता के कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए, या तो विकृत हैं या बिना किसी सबूत के आधारित हैं या बिल्कुल भी असमर्थनीय हैं।”

42. एक और तर्क जो आगे बढ़ाया गया है, वह सी.जी.आई.टी.-सह-श्रम न्यायालय के समक्ष संदर्भ के लंबित होने के संबंध में है। यह तर्क दिया गया है कि जहां तक उस संदर्भ का संबंध है, यह मुख्य रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम और पंचाट के तहत श्रमिकों के नियमितीकरण के संबंध में है और रिट याचिका मुख्य नियोक्ता के कर्मचारियों के बराबर समान और एक प्रकार का काम करने पर श्रमिकों को भुगतान के संबंध में है। यह भी तर्क दिया गया है कि दोनों अलग-अलग फोरम और अलग-अलग अधिनियम के तहत हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि विभिन्न कानूनों के तहत दो समानांतर कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। गुजरात मजदूर पंचायत बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 1992/एलएलजे 486, पैरा 29 और 30 में दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 और 12 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि दोनों अधिनियमों के तहत समानांतर कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उद्देश्यों और लक्ष्यों का उल्लेख किया। यह तर्क दिया गया है कि यह एक लाभार्थी विधि है जैसा कि जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और अन्य 2000 {7} एससीसी 109 में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। अधिवक्ता ने निर्णय के पैरा 10 का संदर्भ लिया, जो निम्न प्रकार है:



10. बेशक, कैफेटेरिया कर्मचारियों को आजीविका के लिए सहायता की आवश्यकता है— क्या वे जब तक जीवित रहेंगे, तब तक आधे-अधूरे और आधे-अधूरे कपड़े पहने रहेंगे— क्या यही वह समाज है जिस पर हमें गर्व है? क्या यह हमारे संविधान के संस्थापकों द्वारा दी गई गारंटी है या यह समाजवाद की अवधारणा है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? कोई भी उत्तर संभवतः सकारात्मक नहीं हो सकता। स्थिति बहुत भयानक और सोचनीय है— विश्वविद्यालय छात्रों को मजबूरी में छात्रावास में रहने का निर्देश देता है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहरी एजेंसियों से भोजन लेने पर निश्चित प्रतिबंध लगाता है और भोजन प्रदाता, यानी कैफेटेरिया के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जिसके वे कर्मचारी हैं, अगर हम पूछें और हमें लगता है कि यह पूछना हमारे लिए अशिष्टता नहीं होगी— क्या यह भोजन का उपभोक्ता है? भोजन का उपभोक्ता कब से नियोक्ता बन गया? ये ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं। समाज को समृद्ध होना होगा और यह समृद्धि तभी आ सकती है जब व्यापक दृष्टि हो संपूर्ण सामाजिक भलाई और लाभ के लिए। यह किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य दायित्व है कि समाज फले-फूले। कमजोर वर्ग के लोगों को लंबे समय से वंचित रखा गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे रोका जाए और न्यायोचित कारण और न्यायोचित शिकायत के लिए अनुतोष प्रदान करने के लिए विधि न्यायालयों को आगे आना चाहिए। आर्थिक न्याय केवल कानूनी शब्दजाल नहीं है, बल्कि नई सहस्राब्दी में, यह सभी का दायित्व है कि वे आर्थिक न्याय चाहने वाले को प्रदान करें। समाज बना रहेगा, सामाजिक न्याय व्यवस्था है और आर्थिक न्याय आज का नियम है। वैधानिक दस्तावेजों के प्रति संकीर्ण रुढ़िवादी दृष्टिकोण अब नहीं रह गया है। कॉर्पोरेट न्यायशास्त्र के सिद्धांत को अब औद्योगिक न्यायशास्त्र में शामिल किया जा रहा है और इस संबंध में मामलों की एक लंबी श्रृंखला है— इसलिए विधि तरलता की स्थिति में नहीं है क्योंकि स्थिति कमोबेश सुलझ चुकी है। व्याख्या के संबंध में, औद्योगिक न्यायशास्त्र के तहत वैधानिक दस्तावेजों की व्याख्या के मामले में यथासंभव व्यापक आयाम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कठोर अवधारणा अब उपलब्ध नहीं है। न्याय— सामाजिक और आर्थिक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अत्यंत शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि संस्थापक पिताओं द्वारा देखे गए समाज के समाजवादी स्वरूप को पनपाया जा सके और इसकी नींव रखी जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अंधकार में न रहें और सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए याचना करें।

43. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स एवं अन्य (2001) 7 एससीसी 1** के



मामले में अपने निर्णय में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैरा 9 और 10 का संदर्भ दिया, जो इस प्रकार है:

"9, भारत के संविधान के आगमन के बाद, राज्य का दायित्व है कि वह कार्यबल की स्थिति में सुधार लाए। इस संबंध में अनुच्छेद 23, 38, 39, 43, 43-क, 14 और 15 सुसंगत हैं। संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक है और उन लोगों का मार्गदर्शन करती है जो इसके प्रावधानों से निपटने के दौरान खुद को एक अंधेरे में पाते हैं। अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित एक लाभकारी विधि की व्याख्या करते समय, जो अन्यथा संवैधानिक रूप से वैध है, न्यायालय के विचार को उन उद्देश्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। लाभकारी श्रम विधि की भाषा में अस्पष्टता के मामले में, न्यायालयों को विधायिका द्वारा श्रमिकों को लाभ देने के बजाय, लाभ देने के पक्ष में दुविधा को अधिनियम के अन्य प्रावधानों को फिर से लिखे बिना और/या उनका उल्लंघन किए बिना हल करना होगा।

10. संसद द्वारा ठेका श्रम प्रणाली के दुरुपयोग से निपटने के लिए सीएलआरए अधिनियम अधिनियमित किया गया था। संसद ने ठेका श्रम के रोजगार के दुरुपयोग को रोकने के लिए दो उपाय अपनाए—पहला है ठेका श्रम के रोजगार को उचित रूप से विनियमित करना और दूसरा है कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करना। यह दृष्टिकोण सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो दिनांक 10/2/1971 को लागू हुआ। उद्देश्यों और कारणों के कथन का अवलोकन करने से पता चलता है कि ऐसी श्रेणियों के संबंध में जिन्हें समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आलोक में अधिसूचित किया जा सकता है, ठेका श्रम को समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य श्रेणियों के संबंध में ठेका श्रम की सेवा शर्तों को विनियमित किया जाएगा।

44. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि व्यावहारिक रूप से सत्रह वर्षों के बाद मामले पर नये सिरे से विचार करना, जिससे पक्षकारों को नए सिरे से मुकदमा करने के लिए विवश होना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यह अस्वीकार भी हो सकता है और यह असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि 150 या उससे अधिक श्रमिकों में से 7 की मृत्यु हो गई है, यहां तक कि मध्यस्थ की भी मृत्यु हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदारों और प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, संघ द्वारा आवेदन वापस लेने के बाद श्रमिकों की अन्य स्थिति भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 17 वर्ष बीत चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों के वेतन के अधिकार के संबंध में कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक



कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मेसर्स ब्लैक डायमंड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार किया था, जिसकी प्रति और करार को रिट याचिका क्र. 2626/96 में अनुलग्नक-पी/14 के रूप में दायर किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त संविदा के खंड संख्या 40(छ) से यह स्पष्ट है कि ठेकेदार श्रमिकों को एनसीडब्ल्यू-॥ के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि एनसीडब्ल्यू-॥ दिनांक 1/1/1979 से 31/12/1982 तक संचालन में था, एनसीडब्ल्यू-॥ 1/1/1983 से 31/12/1986 तक संचालन में था और एनसीडब्ल्यू-IV दिनांक 1/1/1987 से 30/6/1991 तक संचालन में था। यह भी तर्क दिया गया है कि संघ ने रिट याचिका क्र. 2626/96 में दो और समान करार भी दायर किए हैं; एक करार कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एमसीएल के प्रबंधन और मेसर्स गरुड़ ट्रेनपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ था। जिसमें खंड 11 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों (ड्राइवर और ट्रिपमैन) को एनसीडब्ल्यू-IV के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और दूसरा करार एसईसीएल और मेसर्स चाणक्य ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के बीच हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि श्रमिकों को मजदूरी और वेतन एनसीडब्ल्यू के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका क्रमांक 2626/96 में दायर अनुलग्नक-आर/2(7) करार की प्रति है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के संविदा के संचालन की अवधि ब्लैक डायमंड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के करार के काफी बाद की दिनांक 1/3/1983 से 29/2/1988 तक थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके अलावा मेसर्स गरुड़ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का करार याचिकाकर्ता के करार के काफी बाद का है। यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्व सैनिकों की पुनर्वास योजना महानिदेशक पुनर्वास के दिशा-निर्देशों के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल, 1978 को तैयार की गई है और योजना के अनुसार वे कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयला परिवहन का कार्य करेंगे और यह करार सभी के लिए समान होगा।

45. विद्वान अधिवक्ता ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का संदर्भ दिया। प्रस्तुत किया गया कि धारा 2 की उपधारा (i) के अनुसार, "कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुसूचित रोजगार में कुशल या अकुशल, मैनुअल या लिपिकीय कार्य करने के लिए किराए या पारिश्रमिक पर नियोजित है, जिसके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की गई हैं। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता है और वे केवल एनसीडब्ल्यू मजदूरी के हकदार हैं: इसके लिए, मेसर्स केयटिन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के करार के खंड 39 (ज) का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार है:

“ज- परिवहन ठेकेदार, उपर्युक्त के अतिरिक्त, सुसंगत विधि, विशेषकर श्रम कानूनों में प्रदत्त सभी भुगतान करेगा, जिसमें अवकाश वेतन, रेलवे किराया, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ मुआवजा और बीमारी अवकाश मजदूरी, कोयला उद्योग



पर लागू नियमों, करार, पंचाटों या सुसंगत कानूनों के अनुसार सवेतन अवकाश के लिए मजदूरी शामिल है।

46. यह तर्क दिया गया है कि कोयला उद्योग पर करार, पंचाट या सुसंगत विधि एनसीडब्ल्यूए और खान अधिनियम, 1952 लागू हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 परिभाषाएँ निर्धारित करती है। अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 2(ज) (झ) और धारा 2(2) का संदर्भ दिया, जो इस प्रकार है:

“2(ज) वह व्यक्ति खान में “नियोजित” कहा जाता है जो खान के प्रबन्धक के रूप में काम करता है या जो खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या प्रबन्धक की जानकारी में की गई नियुक्ति के अधीन, -

(i) किसी खनन संक्रिया में (जिसके अन्तर्गत खनिजों की प्रेषण स्थल तक उठाई-धराई और परिवहन तथा बालू एकत्रित करने और खान तक उसका परिवहन करने की सहवर्ती संक्रियाएं भी हैं);

(2) ऐसे व्यक्ति की बाबत जो खान में या खान के संबंध में काम कर रहा या नियोजित है यह तब कहा जाता है कि वह-

(क) “भूमि के नीचे” काम कर रहा या नियोजित है, जब कि वह -

(i) किसी ऐसे कूपक में काम कर रहा या नियोजित है, जो गलाया जा चुका है या गलाया जा रहा है; अथवा

(ii) किसी ऐसे उत्खान में काम कर रहा या नियोजित है, जिसका विस्तार उपस्थित भूमि के नीचे है; तथा

(ख) “भूमि के ऊपर” काम कर रहा या नियोजित है, जब कि वह किसी विवृत्त खनित में काम कर रहा है या किसी अन्य ऐसी रीति से काम कर रहा है जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट नहीं है।]

47. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जहां तक एसईसीएल का प्रश्न है, कोई पक्षपात नहीं किया गया है और न ही दिखाया गया है। यदि कुछ किया जाना था, तो उसे एसईसीएल और केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था और केंद्र सरकार को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से कोई भी प्रश्न मुख्य श्रम आयुक्त या मध्यस्थ के समक्ष नहीं उठाया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि संघ को उनके कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि एसईसीएल एक सार्वजनिक उपक्रम है; यह उनका कर्तव्य भी है कि वे अवगत कराएं और वे विफल रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि कोई पक्ष अपने कर्तव्य में विफल रहता है, तो वह दूसरे को दोष नहीं दे सकता है।



48. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में मुख्य श्रम आयुक्त को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 16/11/1987 को निर्णीत रिट याचिका क्रमांक 3548/87 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में संदर्भ दिया गया था। खंडपीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बीएचईएल वर्कर्स एसोसिएशन (पूर्वोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के तहत; ठेका मजदूरों के विरुद्ध कोई पक्षपातपूर्ण भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठेका मजदूर उसी मजदूरी, अवकाश, कार्य के घंटों और सेवा की शर्तों के हकदार हैं, जो प्रतिष्ठान के मुख्य नियोक्ता द्वारा उसी या समान प्रकार के काम पर सीधे नियोजित कामगारों पर लागू होती हैं। इसलिए मुख्य श्रम आयुक्त को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न की जांच करने का निर्देश दिया गया कि क्या ट्रांसपोर्टर्स के कामगारों द्वारा किया जाने वाला कार्य उसी प्रकार का है जैसा कि मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगारों द्वारा किया जा रहा है। उक्त रिट याचिका नाथूलाल पांडे-महासचिव, मप्र कोयला मजदूर सभा व अन्य द्वारा महाप्रबंधक-एसईसीएल, कार्मिक प्रबंधक-गेवरा परियोजना प्रबंधन, महाप्रबंधक-एक्स माइल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कायतीन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व रोहिणी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर की गई थी। खण्डपीठ के उक्त आदेश को किसी भी उत्तरवादी ने न तो चुनौती दी और न ही संशोधन या समीक्षा के लिए आवेदन किया। इसके बाद मामला मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा गया और कार्यवाही शुरू हुई। मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान दिनांक 24/1/1991 को यह करार हुआ कि मामला श्री आर.के. मेहता, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), एसईसीएल, बिलासपुर को माध्यस्थ के लिए भेजा जाएगा और निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा इसके बाद मध्यस्थ ने मामले को आगे बढ़ाया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न तिथियों पर सुनवाई हुई और फिर अंततः दिनांक 25/8/1994 को पंचाट पारित किया गया और इसे क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश को भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष कार्यवाही भी शुरू की गई और वहां भी पक्षकारों ने मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए सहमति व्यक्त की। किसी भी समय, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इसके अनुसार, उन सभी कार्यवाहियों को वापस ले लिया गया, जो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थीं, जैसा कि कार्यवाही में परिलक्षित होता है। खण्ड पीठ का आदेश अभी भी लागू है।

49. किसी भी मामले में, जहां तक संघ का संबंध है, उन्होंने मुख्य श्रम आयुक्त से संपर्क किया, यहां तक कि मुख्य श्रम आयुक्त भी पक्षकार नहीं हैं और मध्यस्थ तथा केंद्र सरकार भी उपर्युक्त किसी भी याचिका में पक्षकार नहीं है। एसईसीएल ने केवल कमजोर व्यक्तियों तथा ठेकेदारों को पक्षकार बनाया है तथा मूलतः ठेकेदारों को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 21(4) के अंतर्गत अनुतोष दिया है। जहां तक एसईसीएल का संबंध है, उसने भी किसी अनुतोष का दावा नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ठेकेदार मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मुख्य



नियोक्ता मजदूरी का भुगतान करने तथा ठेकेदार से भुगतान की गई राशि वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा। यह उल्लेख करना उचित है कि एसईसीएल के हितों की अच्छी तरह से रक्षा की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पारित अंतरिम आदेशों में इस संबंध में उचित सावधानी बरती गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुनवाई के दौरान प्रस्ताव रखे गए थे तथा पक्षकारों को मामले को निपटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

50. जहां तक रिट याचिका क्रमांक 2526/95 और 2626/96 का प्रश्न है, याचिकाकर्ता/एसईसीएल ने मध्यस्थ और मुख्य श्रम आयुक्त को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया है। इन दोनों याचिकाओं में पक्षकारों के मध्य असंयोजन है।

51. सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि प्रकाशन न करने से नियोक्ता को क्या नुकसान हुआ है, विद्वान अधिवक्ता किसी भी तरह के नुकसान की ओर इशारा नहीं कर पाए। यह बताया गया कि प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जहां तक पक्षकारों के शामिल न होने का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दावा किये गये अनुतोष की प्रकृति को देखते हुए, किसी को भी पक्षकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी।

52. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अली असगर ने रिट याचिका क्र. 2384/95 में तर्क दिया है कि पक्षपात नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई कार्य उस तरीके से किया जाना अपेक्षित है, तो उसे किया जाना चाहिए और उसमें विचलन की अनुमति नहीं है। यहां तक कि तथ्यात्मक पहलू पर भी, जो अनुसूची पंचाट के साथ संलग्न की गई है, उसका कोई जवाब नहीं है।

53. जहां तक अधिनियम की धारा 10-ए की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुपालन का संबंध है, जो समुचित सरकार को पंचाट प्रस्तुत करने के संबंध में है, ऊपर चर्चा किए गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के तहत और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (4) के प्रावधानों के मद्देनजर, जो यह निर्धारित करते हैं कि पंचाट समुचित सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि समुचित सरकार को पंचाट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। इस संबंध में **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य बनाम मसूर अली खान (2000) 7 एससीसी 329** के मामले में निर्धारित विधि सुसंगत है, जिसमें यह माना गया है कि हर मामले में गैर-अनुपालन कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा। उपरोक्त तथ्य को देखते हुए, यह एक ऐसा मामला है, जो अपवाद के अंतर्गत आता है, और यदि बाद की प्रतुतियों के लिए निर्देश दिया जाता है, तो यह उद्देश्य पूरा होगा।



54. चूंकि मध्यस्थ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अब क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा समुचित सरकार के समक्ष विधि के तहत आवश्यक निर्णय प्रस्तुत किया जाए और उसके प्रस्तुत होने के बाद उसकी प्रति इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए।

55. ऊपर जो कहा गया है, उसके अधीन, रिट याचिकाएं क्र. 2384/85, 2526/95 और 2626/96 का निराकरण किया जाता है।

56. जहां तक रिट याचिका क्र. 539/02 का संबंध है, रिट याचिका क्र. 539/02 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि कोई संभावित परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए और वह पुनः याचिका दायर कर सके।

57. तदनुसार, रिट याचिका क्र. 539/02 का निराकरण, अनुरोध की गई स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

58. अंत में यह न्यायालय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित नस्तियों में रखी जाए।

सही/-

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

06/12/2004

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By

Vijay Kumar Sahu, Advocate